न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 366 सन 2018

अनवान :–

1. रामस्वरूप पुत्र मनफुल जाति मेघवाल निवासी पिरकामडिया तहसील नोहर। वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र मनफुल जाति मेघवाल निवासी पिरकामडिया तहसील नोहर।
2. बिरमा पुत्री मनफुल जाति मेघवाल निवासी पिरकामडिया तहसील नोहर
3. शारदा देवी पत्नि रामकुमार जाति मेघवाल निवासी पिरकामडिया तहसील नोहर
4. मनीष कुमार 5 लक्ष्मी पुत्र/पुत्रीया रामकुमार जाति मेघवाल निवासी पिरकामडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 08/01/2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा निमला के खाता संख्या 157/251 के खसरा न0 18 की 5.7540हैक , खसरा न0 25/1 की 5.6660हैक कुल 10.408हैक भूमि स्थित है जिसके मनफुल परमान पि0 नानुराम खातेदार काश्तकार है उक्त सयुक्त खाता में मनफुल पुत्र नानुराम का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है।

मनफुल व उसकी पत्नि गोरादेवी व उनका पुत्र रामकुमार फोत हो चुके है बाद वफात वाद भूमि उनके पुत्रगणों के नाम दर्ज हो चुकी है अर्थात विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 व 5 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज हुई है । तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,5 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज हुई वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ,3 5 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा निमला के खाता संख्या 157/251 की कुल 10.4108हैक भूमि में वादी अकेला 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 8/1/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

S.A. Zaidi
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official